// सत्यमेव जयते //

अहिल्या चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री

410-411, कॉमर्स हाउस, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर - 452 003
फोन : 2532241, 4085241 ई-मेल : acci.indore@gmail.com

अध्यक्ष
रमेश खंडेलवाल
फोन : (ऑ) 2435396 (नि) 2559460
मो : 09425065071

महामंत्री
सुशील सुरेका
फोन :ऑ 2532241,4085241 नि॰ 2561055
मो : 09893034501 फ़ैक्स: 0731-2434783

14.06.2021

माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण,
वित्त मंत्री ,
भारत सरकार,
न्यू देहली.

महोदया,

आयकर की नई वेबसाईट

हम अत्यंत वेदना के साथ आयकर की नई वेबसाईट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं.

आयकर विभाग की वेबसाइट दिनांक 1 जून से बंद है। वेबसाइट का नया वर्जन 7 जून से चालू होना था, परंतु वह आज दिनांक तक बराबर कार्य नहीं कर रहा है।

महोदया, पिछले दिनों के लॉक डाउन से देश अभी उबरा भी नहीं है. उद्योगिक, व्यापारिक गतिविधियाँ पूर्ण रूप से शुरू नहीं हो पाई हैं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और कर सलाहकारों के कार्यालय अभी अभी खुलें हैं. ऐसे समय में स्थापित प्रक्रिया का बदलना और पोर्टल का सुचारू रूप से काम न करना अत्यधिक मानसिक त्रास का कारण बन रहा है.

जिन करदाताओं के असेसमेंट, अपील आदि के प्रकरण विभाग में लंबित हैं, वह विभाग के नोटिस का जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जवाब पोर्टल पर ही दिया जाना आवश्यक है। करदाता के जवाब के अभाव में विभाग के अधिकारियों द्वारा एक पक्षीय निर्णय लिए जाने की संभावना बनी हुई है।

www.taxguru.in

करदाता के टीडीएस रिटर्न फाइलिंग, विवाद से विश्वास स्कीम संबंधित फाइलिंग, चैरिटेबल संस्थाओं के नए रजिस्ट्रेशन से संबंधित फाईलिंग सभी बंद पड़ी हुई है, जिनकी अंतिम तिथि 30 जून है।

वेबसाइट बंद होने के कारण सबसे बड़ी परेशानी उन व्यापारियों को उठाना पड़ रही है जिन्हें विदेशों में कुछ भुगतान करना है, जिसके लिए आयकर विभाग की वेबसाइट से फ़ॉर्म 15CA एवं 15CB जनरेट करना होता है। वेबसाइट बंद होने से यह फ़ॉर्म जनरेट नहीं हो पा रहे हैं जिसके कारण बैंक भुगतान करने से मना कर रही है। नतीजतन व्यापारियों पर ना सिर्फ देर से भुगतान के ब्याज व पेनल्टी की लायबिलिटी खड़ी हो रही है बल्कि विदेशों में भारतीय व्यापार जगत की विश्वसनीयता को भी धक्का पहुंच रहा है।

अतःआपसे सविनय निवेदन है कि जब तक नया पोर्टल पूर्ण रूप से सुचारू कार्य नहीं करें तब तक पुराने पोर्टल पर ही कार्य करने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश अविलब्म देकर अनुग्रहित करें.

अग्रिम धन्यवाद सहित, सादर,

रमेश खंडेलवाल — सुशील सुरेका ,

अध्यक्ष — महामंत्री

प्रतिलिपि :

१. माननीय, प्रधान मंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली ; उनके सचिवालय से आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन.

२. चेयरमैन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन .

www.taxguru.in